न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
बइजलास श्री विश्वामित्र मीना (RAS)

राजव वाद पत्र सं 30/2018

रामस्वरूप पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी रामजीपुरावास नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जयपुर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
श्री महेश शर्मा नयावासः—वकील वादी

निर्णय

दिनांक 2/12/19

वादी की ओर से वाद में ग्राम रामजीपुरावास नायला पटवार हल्का नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 160, 161, 308, 314, 329 तथा खसरा नं0 341/376, 313, 333, 291 एवं खसरा नं0 खसरा नं0 43, 44, 45, 158, 159, 330, 334 व ग्राम मीणों का बाढ में खसरा नं0 216 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खतौनी में वादी का राजस्व इन्द्राज रामस्वरूप पुत्र गंगाराम के स्थान पर बोलते नाम अनुसार स्वरूपा पुत्र गंगाराम अनुसार तथा खसरा नं0 43, 44, 45, 158, 159, 330, 334 व ग्राम मीणों का बाढ में खसरा नं0 216 अनुसार कृषि भूमि में वादी का राजस्व इन्द्राज रामस्वरूप पि0मु0झूंथा अनुसार त्रूटिपूर्ण इन्द्राज होना एवं वादी का सही दस्तावेजी नाम "रामस्वरूप पुत्र गंगाराम" अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करने व रिकार्ड दूरूस्तीकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके लिए वादी का इन्द्राज रामस्वरूप पुत्र गंगाराम दर्ज कराने व गलत त्रटिपूर्ण अपने इन्द्राज को दूरूस्त कराने की घोषणा हेतु अनुतोष चाहा गया है। जिसके संबंध में प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाबी कार्यवाही में जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर वाद में दुरूस्तीकरण का समर्थन किया गया है तथा सहखातेदार की ओर से वादी का नाम दुरूस्तीकरण के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है, साथ ही वकील प्रार्थी ने कथन किया है कि शामिल दस्तावेजों में झूथा पुत्र ग्यारसा के विरासती नामांतरण सं0 138, 286 वादी के हित में खुला हुआ है, लेकिन उक्त खसरा नं0 43,44,45,158,159,330,334,216 के नामांतरण की कार्यवाही में वादी का इन्द्राज रामस्वरूप पि0मु0 झूथा कर दिया गया, जो कि पत्रावली में शमिल दस्तावेजों से साबित है कि गंगाराम का प्राकृतिक पुत्र रहते एवं ना0ओ0 फोत झूथा पुत्र ग्यारसा का भी वारीस वादी अकेला ही रहता आया है।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों अनुसार पत्रावली में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबी बिन्दूवार जॉच रिपोर्ट तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजात मय रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पंहुचते है, कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी का राजस्व इन्द्राज त्रूटिपूर्ण है। जिससे विचाराधीन प्रकरण में न्याय की मंशा से निर्णित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, विचाराधीन प्रकरण में निर्णय किया जाकर ग्राम रामजीपुरावास नायला में वादग्रस्त ख0नं0 160, 161, 308, 314, 329 तथा ख0नं0 341/376, 313, 333, 291 एवं ख0नं0 43, 44, 45, 158, 159, 330, 334 व मीणों का बाढ में ख0नं0 216 अनुसार की कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी के राजस्व इन्द्राज "स्वरूपा पुत्र गंगाराम" एवं ख0नं0 43, 44, 45, 158, 159, 330, 334 व मीणों का बाढ में ख0नं0 216 की कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में "रामस्वरूप पि0मु0 झूंथा" अनुसार त्रूटिपूर्ण इन्द्राज के स्थान पर वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र गंगाराम अनुसार दर्ज करने की घोषणा की जाती है। तदानुसार तहसीलदार को वादी का नाम दुरूस्तीकण करने के आदेश दिये जाते है। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.03.05 13:51:33 IST
Reason: SelfAttested